न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 03/2011 G.C.M.S. No. 2011/00063 दर्ज दिनांक : 11.02.2011

अपीलार्थी:

1. मृतक वनाराम पुत्र हिम्मताराम, जाति बावरी, साकिन हुनावास कलां, तहसील जैतारण व जिला ब्यावर के कायम मुकाम:–
   1/1 मृतक सोहनलाल पुत्र स्व. वनाराम के कायम मुकाम:–
   1/1/1 शकुंतलादेवी स्व. सोहनलाल
   1/1/2 जगदीश कुमार पुत्र स्व. सोहनलाल
   1/1/3 वैदपालसिंह पुत्र स्व. सोहनलाल
   1/1/4 मंजू पुत्री स्व. सोहनलाल
   1/2 लालाराम पुत्र स्व. वनाराम
   1/3 गुमानसिंह पुत्र स्व. वनाराम
   1/4 मनोहरराम पुत्र स्व. वनाराम
   1/5 गोदावरीदेवी पुत्री स्व. वनाराम
   1/6 रागीबाई (सीता) पुत्री स्व. वनाराम
   1/7 यशोदा पुत्री स्व. वनाराम
   1/8 जमना पुत्री स्व. वनाराम सभी उम्र बालिग, जातिगण बावरी, निवासीगण हुनावासकलां, तहसील जैतारण व जिला ब्यावर।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. जीवा पुत्र केसा
2. जगदीश पुत्र केसा
3. ढगला पुत्र गुणेश
4. बंशी पुत्र गुणेश जातिगण बावरी साकिन हुनावासकलां, तहसील जैतारण व जिला ब्यावर।
5. तहसीलदार, जैतारण, जिला ब्यावर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर जैतारण द्वारा राजस्व वाद संख्या 120/2006 बअनवान वनाराम वगैरह बनाम जीवा वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.11.2010 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकार–

1. श्री मोहनलाल वर्मा, विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स।
2. श्री मोहम्मद शरीफ काजी, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट्स।

निर्णय

दिनांक: 29.09.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर जैतारण द्वारा राजस्व

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

वाद संख्या 120/2006 भगवान बनाराम वगैरह बनाम जीवा वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.11.2010 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है-

यह कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वादपत्र के तहत मौजा गांव हुनावासकलां तहसील जैतारण जिला पाली में खसरा नम्बर 66 रकबा 18 बिस्वा कृषि भूमि वादी के बाप, दादाओं के समय से आई हुई है, के संबंध में घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई हैं। जोकि सर्वथा न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत है। चूंकि प्रकरण में वादी को सुने बिना एवं रेकर्ड पर आई साक्ष्य व सबूत को नजरअन्दाज करते हुए उक्त आदेश पारित किया गया है। इसके साथ ही प्रकरण में आदेश 7 नियम 11 में जो बिन्दु दिये गये हैं वो एक भी बिन्दु उक्त पत्रावली पर लागू नहीं होते हैं। आदेश 7 नियम 11 के प्रार्थना पत्र के लिमिटेड स्कोप होते है। फिर भी कानून व विधि की मंशा व आर्डर 7 नियम 11 की मंशा के विरूद्ध यह आदेश पारित किया गया है। उक्त कार्यवाही न्यायिक कार्यवाही है और उसमें हक व अधिकार तय होते हैं। जिसमें न्यायिक प्रक्रिया अपनाई गई है, उसकी अधिनस्थ न्यायालय ने न्यायिक प्रक्रिया के तहत सुनवाई करनी थी, न कि प्रशासन गांवों के संग ऐसे मुकदमे में सुनवाई की जा सकती हैं। जबकि उक्त केस मे अधिवक्ता नियुक्त है। उसको जानकारी में लाये बिना उक्त आदेश एकपक्षीय सुनाया गया है। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी द्वारा वादी के विरूद्ध धारा 183 का वाद पेश किया गया। जिससे साबित है कि वहां कब्जा वादी अपीलाट के पास है व कब्जे के आधार पर धारा 88 का वाद पेश किया गया। जिसमें सेटलमेंट से पूर्व का कब्जा था। कब्जा वर्तमान में चल रहा था। प्रतिकूल कब्जे के सिद्धान्त के आधार पर वाद पेश किया गया था, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय को तनकी बनाकर साक्ष्य वादी व प्रतिवादी का लेकर वाद का निस्तारण करना था। परन्तु आदेश 7 नियम 11 का प्रार्थना पत्र मेन्टेनेबल नहीं होते हुए भी उक्त आदेश पारित किया गया, जबकि अपने जवाबदावा में कब्जा वादी अपीलांट का होना पढ़ने मात्र से साबित है। आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के तहत जो कन्टेस्ट दिये गये हैं वो एक भी लागू नहीं होते हैं। उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि का कब्जा आज भी वादी के पास है। केवल मात्र प्रार्थना पत्र के आधार पर मिलावट करके विधि के सिद्धान्तों के विरूद्ध व न्यायिक प्रक्रिया को अपनाये बिना ही उक्त वाद खारिज किया गया है। उक्त आदेश की जानकारी अपीलांट को नहीं थीं। अपीलांट करीब 75 वर्ष से अधिक उम्र का है। वह अक्सर बीमार रहता है। दिनांक 05.02.2011 को वकील साहब के पास तारीख हेतु गया तब उन्होंने कहा

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

कि आपके मुकदमे का फैसला केम्प कोर्ट में कर दिया है, तब अपीलांट को नकलें दी, तब अपीलांट पाली अपने वकील साहब के पास आया एवं उक्त अपील तैयार कर प्रस्तुत की। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावें।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेण्ट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्षकारान की बहस सुनी गयी। हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार हैः–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट द्वारा रेस्पोंडेंट प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादग्रस्त आराजीयात में खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश 7 नियम 11 डी सीपीसी का प्रार्थना पत्र में पारित निर्णय दिनांक 16.11.2010 स्वीकार कर वादपत्र खारिज कर दिया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील विलंब के साथ प्रस्तुत की गई। अपीलांट द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं थीं। अपीलांट वृद्ध व बीमार व्यक्ति है। दिनांक 05.02.2011 को वकील के पास तारीख लेने गया तब उन्होंने बताया कि आपके मुकदमे का फैसला हो गया है। अतः विलंबकाल माफ कर अपील अंदर म्याद शुमार फरमावें।
2. हमारे विनम्र मत में प्रकरण में दीर्घ विलंब निहित नहीं हैं तथा विलंब अपीलांट की उदासीनता के कारण होना साबित नहीं हैं। प्रकरण का निर्णयन कठोर, तकनीकी व प्रक्रियात्मक आधार पर नहीं कर गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। जिसके लिए उभयपक्षकारान को सुना जाना आवश्यक है। अतः विलंबकाल माफ करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।
3. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध वादी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी द्वारा वादपत्र के पैरा संख्या 2 में यह स्पष्ट अंकित किया है कि आपसी विवाद को मिटाने हेतु 18100 रूपये देकर कानून की जानकारी नहीं होने से बेचान दिनांक 11.07.2000 को 100 रूपये के स्टांप पर लिखा दिया, ताकि भविष्य में कोई तनाजा पैदा न हों।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

4. अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र अपंजीकृत इकरारनामा लिखत के आधार पर प्रस्तुत करने तथा इसके आधार पर खातेदारी अधिकार कानूनन प्रदान नहीं करने एवं वादी को अपना हक व अधिकार सिविल न्यायालय से तय करवा सकने के आधार पर वादपत्र विधि बाधित मानते हुए आदेश 7 नियम 11 डी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री द्वारा वादपत्र खारिज कर दिया गया।

5. हमारे विनम्र मत में यह निर्विवाद है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में अपंजीकृत लिखत के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान करने का राजस्व न्यायालयों को कोई क्षेत्राधिकार नहीं हैं। ऐसी स्थिति में वादी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में प्रथम तो राजस्व न्यायालयों के विचारण हेतु प्रस्तुत वाद में वाद कारण ही उत्पन्न नहीं माना जा सकता। जब तक अपंजीकृत इकरार का सक्षम सिविल न्यायालय से स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंतर्गत क्रियान्वयन नहीं करवा दिया जाता, राजस्व न्यायालयों को ऐसे अपंजीकृत लिखत के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा व निषेधाज्ञा के वादपत्रों में विचारण का कोई क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त नहीं हैं। अतः विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादपत्र खारिज करने में कोई विधिक भूल नहीं की हैं।

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट बखूबी साबित नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलाण्ट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिंत दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **29.09.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner